पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या- 352/2017

थाना कांड संख्या- 291/2014, थाना-बरहरिया, जिला-सिवान से उत्पन्न

==========

1. सद्दाम हुसैन उर्फ़ समीर राजा, साहेबजान मियां उर्फ़ मोहम्मद साहबज के पुत्र
2. खुशनुमा खातून, पत्नी सद्दाम हुसैन दोनों बाबूहाटा गाँव के निवासी, थाना बरहरिया, जिला-सिवान।

.....अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य ..... प्रत्यार्थी

==========

के साथ

आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या- 405/2017

थाना कांड संख्या- 291/2014, थाना-बरहरिया, जिला-सिवान से उत्पन्न

==========

सद्दाम हुसैन की पत्नी, खुशनुमा खातून, दोनों बाबूहाटा गाँव के निवासी, थाना बरहरिया, जिला-सिवान।

.....अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य ..... प्रत्यार्थी

==========

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 363, 364, 364A और 302/34

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1812 - धारा 65B

निचली अदालत ने अपिलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 364, 364A और 302/34 के तहत दोषी ठहराया तथा उन्हें आजीवन कारावास भोगने का तथा 1 लाख रु. प्रति व्यक्ति जुर्माना भरने की सजा सूनायी। इस निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने पाया की जो सी.डी.आर. और एस.डी.आर. अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया गया है उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65B के तहत वर्णित आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है इसलिए सी.डी.आर. और एस.डी.आर. को स्वीकार्य साक्ष्य नहीं कहा जा सकता।

अनवर पी.वी. बनाम बशीर और अन्य, (2014)10 एस.सी.सी. 473 और अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुषाणराव गोरंट्याल और अन्य,(2020)7 एस.सी.सी1 पर भरोसा किया गया। निर्णित किया गया की अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा की बराबद शव अपीलार्थियों के पूत्र का ही था। निर्णित किया गया की अभियोजन अपीलार्थियों के विरुद्ध दोष सिद्ध करने में असफल रहा इसलिए दोष सिद्धी के निर्णय और सजा के आदेश को दरकिनार किया जाता है तथा अपिलार्थियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। अपील को स्वीकार किया जाता है।

[पैरा 3,9,23,26,31]

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या- 352/2017

थाना कांड संख्या- 291/2014, थाना-बरहरिया, जिला-सिवान से उत्पन्न

==========

1. सद्दाम हुसैन उर्फ़ समीर राजा, साहेबजान मियां उर्फ़ मोहम्मद साहबज के पुत्र
2. खुशनुमा खातून, पत्नी सद्दाम हुसैन दोनों बाबूहाटा गाँव के निवासी, थाना बरहरिया, जिला-सिवान।

.....अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य ..... प्रत्यार्थी

==========

के साथ

आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या- 405/2017

थाना कांड संख्या- 291/2014, थाना-बरहरिया, जिला-सिवान से उत्पन्न

==========

सद्दाम हुसैन की पत्नी, खुशनुमा खातून, दोनों बाबूहाटा गाँव के निवासी, थाना बरहरिया, जिला-सिवान।

.....अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य ..... प्रत्यार्थी

==========

उपस्थिति:

(आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या- 352/2017 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री आमिर आलम, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : श्री सत्य नारायण प्रसाद एपीपी, सहायक लोक अभियोजक

(आपराधिक आवेदन (डीबी) संख्या 405/2017 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री अनिल चंद्र, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : श्री सत्य नारायण प्रसाद, सहायक लोक अभियोजक

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यामूर्ति श्री नानी तागिया।

मौखिक निर्णय

(द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

तिथिः 24.01.2024

1. हमने श्री आमिर आलम, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता /सद्दाम हुसैन उर्फ़ समीर राजा और खुशनुमा खातून को 2017 का आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या-352 में और अनिल चंद्र, विद्वान अधिवक्ता को 2017 का आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 405 में सुना। राज्य का प्रतिनिधित्व विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री सत्य नारायण प्रसाद ने किया है।

2. दंपति/अपीलार्थियों पर फिरौती के उद्देश्य से पीड़ित/अबू बकर का अपहरण करने और फिर गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है और उनके शव को एक नाले में छिपा दिया गया था।

3. पूर्व-उल्लिखित आरोप के लिए, अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 363,364,364 ए 302/34 के तहत 2015 के सत्र मामले संख्या 115 (2015 का विनियमन संख्या 71) में विद्वान 5 वें अपर सत्र न्यायाधीश, सिवान द्वारा पारित निर्णय के माध्यम से

दोषी ठहराया गया है, जो 2014 का बरहरिया थाना कांड संख्या 291 से उत्पन्न होता है। दिनांक 02.02.2017 के आदेश द्वारा, अपीलकर्ताओं को आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास तथा, 1,00,000 /- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गयी है तथा आई.पी.सी. की धारा 364 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास तथा 1,00,000/- रुपये भरने की सजा सुनाई गयी है। आई. पी. सी. की धारा 363 और 364 के तहत कोई अलग सजा नहीं दी गई है। जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में, प्रत्येक अपीलार्थी को दो साल के लिए कठोर कारावास से गुजरने का निर्देश दिया गया है। जुर्माने की राशि का अस्सी (80) प्रतिशत मृतक के माता-पिता को देने का निर्देश दिया गया है, जो घटना के वास्तविक पीड़ित हैं।

4. सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

5. एफ़. आई. आर. मृतक की माँ, यानी नूर जहाँ खातून (अभियोजन गवाह सं.-3) द्वारा दर्ज की गई थी, जो 18.07.2014 की रात को 10.00 पी. एम. पर दर्ज की गई थी।

6. अभियोजन गवाह सं.3 ने आरोप लगाया कि उसी दिन लगभग 04:30 बजे अपराह्न, उन्हें गतिमान दूरभाष संख्या 9934449363 से एक दूरभाष कॉल आया था; जाहिर तौर पर उसकी भतीजी, गुलशन से, जो चाहती थी कि मृतक/लगभग नौ साल के अबू बकर को उसे लेने के लिए एक छतरी के साथ भेजा जाए क्योंकि बारिश हो रही थी। कहा जाता है कि आगे कोई पुष्टि किए बिना और अत्यधिक भोली-भाली प्रवृत्ति दिखाते हुए, अभियोजन गवाह सं. 3 ने गुलशन को लाने के लिए अपने पुत्र को एक छतरी के साथ भेजा था। जब अभियोजन गवाह सं. 3 का पुत्र (मृत) काफी समय तक वापस नहीं आया, तो उसे संदेह हुआ। हालाँकि, लगभग 07:45 बजे अपराह्न, उसी संख्या, अर्थात, 9934449363 एक और कॉल आया, लेकिन फिर इस बार, दूसरी तरफ एक पुरुष की आवाज़ थी, जो आदेश दे रहा था कि 8,00,000/- रुपये उसपुत्र की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए परिवार द्वारा भुगतान

किया जाए। बारिश के कारण न तो अभियोजन गवाह सं. 3 और न ही अभियोजन गवाह सं. 2 (उनके पति) पुलिस थाना गए, बल्कि उस जगह जाने का फैसला किया जहां पुत्र को गुलशन को लाने के लिए भेजा गया था। वहाँ उपलब्ध स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि एक नकाबपोश महिला के साथ एक युवा पुरुष 12 वर्षीय बच्चा को मोटरसाइकिल पर ले गया था। इस सूचना पर पुलिस को लगभग 10 बजे रात्रि में घटना की सूचना दी गई। जब अभियोजन गवाह सं. 3 का फरदबेयान पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी दया शंकर प्रसाद (अभियोजन गवाह सं. 7) द्वारा दर्ज किया गया था।

7. यह ध्यान दिया जाए कि फरदबेयान सूरज सिंह नामक व्यक्ति द्वारा लिखा गया था, जिसकी परीक्षण विचारण में नहीं की गई है। एक इमामुल हक नामक व्यक्ति (जिसकी जांच नहीं की गई) फरदबेयान बयान का गवाह था।

8. ऐसे बयान पर, शुरू में 2014 का बरहरिया थाना कांड संख्या 291 दिनांक 19.07.2014 के तहत धारा 363 और 364 ए के तहत अनुसंधान के लिए प्राथमिकी दर्ज किया गया था। बाद में, यानी 22.07.2014 को, 19.07.2014 को शव बरामद होने के बाद धारा 302/201 जोड़ी गयी।

9. अभियोजन पक्ष के मामले का आधार उस मोबाइल टेलीफोन संख्या के संबंध में अनुसंधान है जिसका इस्तेमाल सबसे पहले गुलशन बनकर किसी व्यक्ति ने किया और फिर 8,00,000/-रुपये फिरौती की मांग मृतक के माता पिता से की गई थी।

10. सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) और एस. डी. आर. (सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो) को अन्वेषक द्वारा मंगाया गया था। रिपोर्ट के विश्लेषण पर, अन्वेषण तुरंत एक मैमुन्निसा के पास पहुंचा, जिसे अपीलार्थी/सद्दाम की माँ कहा जाता है, जिससे एक गतिमान दूरभाष संख्या 8002545019 बरामद किया गया। इस टेलीफोन नंबर का कोई परिणाम नहीं हुआ होगा, लेकिन इस तथ्य के लिए कि इस टेलीफोन नंबर पर, उस नंबर से कई कॉल आए थे जिसका उपयोग फिरौती कॉल के लिए किया गया था, अर्थात 9934449363 से।

मैमुन्निसा के टेलीफोन नंबर पर कॉल की आवृत्ति ने पुलिस को भवानी बाजार में लक्ष्मण देव मिश्रा के घर जाने के लिए सुराग प्रदान की, जहाँ से भी दो मोबाइल टेलीफोन बरामद किए गए, जिनके बारे में कोई संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन मोबाइल संख्याओं का उपयोग शायद अपराध करने में कभी नहीं किया गया था।

11. हालाँकि, लक्ष्मण देव मिश्रा के घर से बरामद किए गए पूर्व-उल्लिखित दो मोबाइल नंबरों के सी. डी. आर. से, यह समझ में आया (लेकिन कैसे, जो हमें अज्ञात है) कि फिरौती कॉल 9934449363 से की गई थी, जिसका उपयोग टेलीफोन नंबर 8002549019 के धारक से बात करने के लिए किया जा रहा था। जिसे अपीलार्थी/सद्दाम की माँ से बरामद किया गया था।

12. आगे की जांच और तलाशी के दौरान, लक्ष्मण देव मिश्रा के घर से एक काले रंग का घूंघट और एक हीरो होंडा पैशन मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसके लिए एक जब्ती सूची तैयार की गई थी। फोन नं. 9934449363, जिससे फिरौती की कॉल की गई थी, वह आयशा खातून के नाम पर थी, जिसके अपीलार्थियों के साथ संबंधों के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं है।

13. इन छिटपुट टेलीफोन कॉल अभिलेख के आधार पर, बहुत दिलचस्प रूप से, अन्वेषक यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यह अपीलकर्ता/सद्दाम और उसकी पत्नी/खुशनुमा ही थे जो मृतक को उसके घर से बाहर निकालने में कामयाब रहे थे और उसका अपहरण कर लिया; फिरौती की मांग की और अंततः उसे मार डाला और उसके शव को छिपा दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि पुलिस ने 19.07.2014 को अपीलार्थियों के घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर केवल एक जल निकाय के पास से बरामद किया था।

14. पूर्व-उल्लिखित साक्ष्य के आधार पर, अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया।

15. ट्रायल कोर्ट ने डॉक्टर और आई. ओ. सहित अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों से परीक्षण करने के बाद अपीलार्थियों को दोषी ठहराया और उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई। मौखिक गवाही के साथ, अभियोजन पक्ष की ओर से छह दस्तावेजों को भी चिह्नित किया गया था जिसमें औपचारिक प्राथमिकी; जब्ती सूची; जांच रिपोर्ट (प्रदर्श -4); पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (प्रदर्श -5); और कॉल विवरण रिकॉर्ड (प्रदर्श -6) शामिल था।

16. अपीलार्थियों का नाम 18.07.2014 की 10:00 बजे रात तक नही लिया गया था, जैसा कि फर्दब्यान कथन से प्रतीत होता है। तथापि, अन्वेषक (अभियोजन गवाह सं. 7) ने विचारण न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा है कि लगभग उसी समय, अर्थात 10:00 रात में पीड़ित/मृतक के पिता मकसूद अली (पीडब्लू 2) ने उन्हें टेलीफोन पर जानकारी दी थी कि गुलशन के पूछने पर उनके पुत्र को लगभग 4:30 पी. एम. बजे उसे लाने के लिए भेजा गया थाः लेकिन बाद में लगभग 08 बजेः00 अपराह्न, उसी फोन करने वाले ने 8,00,000/- रुपये की फिरौती राशि मांगी थी। फिरौती कॉल में इमामुल हक ने भाग लिया, जिससे मुकदमे में पूछताछ नहीं की गई है और कहा जाता है कि वह अभियोजन गवाह सं. 2 का पड़ोसी है। वह फर्दब्यान बयान के हस्ताक्षरकर्ता भी हैं।

17. इस जानकारी को दर्ज न करने और इसे एफ. आई. आर. का आधार न बनाने का कारण अपीलार्थियों के नामों का खुलासा न करना था!

18. हालाँकि, बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारे पास यह पाया गया कि एफ़. आई. आर. के प्रारूप में, जानकारी प्राप्त करने और एफ़. आई. आर. दर्ज करने के लिए बताया गया समय 19.07.2014 को दिन के 02:00 अपराह्न था। हो सकता है कि इसका कोई महत्व न हो, लेकिन इस तथ्य के लिए कि जब तक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, न तो पीडब्ल्यू 2 और न ही पीडब्ल्यू 3, जो वास्तव में शिकायतकर्ता हैं, को अपीलार्थियों के बारे में पता था।यह बहुत बाद में हुआ कि चार गवाहों, अब्दुल जब्बार (पीडब्ल्यू 1), हाशिमुद्दीन अंसारी (पीडब्ल्यू 4), मनु अली (पीडब्ल्यू 5) और चोकत राम (पीडब्ल्यू 6) ने मृतक को एक

महिला की तलाश में देखा था और बाद में अपीलकर्ताओं द्वारा उसे ले जाया गया था। शायद, अभियोजन पक्ष का विचार था कि अपीलार्थियों की पहचान के संबंध में साक्ष्य की बहुलता अभियोजन मामले को साबित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी, यह महसूस करते हुए कि जिरह के परीक्षण ने अभियोजन पक्ष के रहस्य को उजागर करने और हल करने के इस तरह के दावे को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।

19. मुकदमे के दौरान, ये सभी गवाह, अर्थात अभियोजन गवाह सं. 1, 4, 5 और 6 का ध्यान आकर्षित किया गया; जब उन्होंने मृतक को ले जाने वाले अपीलार्थियों की पहचान करने के बारे में पुलिस से बात करने का दावा किया, लेकिन जांचकर्ता ने इस बात से इनकार किया कि जांच के दौरान उनके द्वारा ऐसा कोई बयान दिया गया था।

20. जाहिर है, इसलिए, कहानी केवल अन्वेषक की धारणा के आधार पर बुनी गई थी, शायद कुछ टेलीफोन नंबरों के सी. डी. आर. और एस. डी. आर. के विश्लेषण पर। यह भी बहुत आश्चर्य की बात है कि न तो मैमुन्निसा और न ही बोका, एक अन्य व्यक्ति जो टेलीफोन कॉल के संपर्क में था या लक्ष्मण देव मिश्रा या उस मामले में, आयशा, जो शायद उस टेलीफोन नंबर की धारक है जिसका उपयोग पी. डब्ल्यू. 3 से फिरौती के लिए बात करने के लिए किया गया था, को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।

21. इसलिए, कहानी पूरी तरह से अस्पष्ट बनी हुई है।

22. एक मोटरसाइकिल और एक काले रंग का घूंघट को लक्ष्मण देव मिश्रा के घर से बरामद किया गया, कहा जाता था। हम ऐसे किसी भी साक्ष्य बरामद कर पाए हैं जो यह प्रमाणित करे कि यह अपीलार्थियों का है। हालांकि जांच दस्तावेजों से पता चला कि अपीलकर्ताओं ने लक्ष्मण देव मिश्रा के घर में शरण ली थी क्योंकि उन्होंने शादी की थी, जो दोनों पक्षों के परिवार के सदस्यों के लिए चिंता का विषय था। हालाँकि, यह किसी भी तरह से ट्रायल कोर्ट अभिलेखों में नहीं आया है।

23. मामले का दूसरा पहलू, जिस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है, वह यह है कि सी. डी. आर. और एस. डी. आर., जिन्हें यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा चिह्नित किया गया है, को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के तहत आवश्यकताओं के अभाव में कोई स्वीकार्य साक्ष्य नहीं कहा जा सकता है। ***अनवर पी. वी. बनाम बनाम बशीर और अन्य, (2014) 10 एस. सी. सी. 473 और अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुषाणराव गोरंट्याल और अन्य, (2020) 7 एस. सी. सी. 1*** संदर्भित है।]

24. अभियोजन पक्ष के संस्करण में एक और त्रुटि रेखा है। कहा जाता है कि अपीलार्थी/सद्दाम को दिखाने पर शव बरामद किया गया था। अशोक कुमार सिंह (जिसका परीक्षण नहीं किया गया) नामक व्यक्ति ने दो गवाहों के सामने पूछताछ तैयार की थी। राज किशोर प्रसाद और राजीव कुमार रंजन, जिनसे भी विचारण में पूछताछ नहीं की गई है।

25. अपीलार्थी/सद्दाम द्वारा दी गई जानकारी क्या थी, यह जाँचकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने बयान में नहीं बताया गया है। उस घटना में, ऐसी जानकारी भी जिसके कारण शव बरामद हुआ था, सबूत में पूरी तरह से अस्वीकार्य बनी हुई है ***[राजेश और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1202 और शाहाजा @ शाहाजन इस्माइल मोहम्मद शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 883*** संदर्भित किये गए है।]

26. इसके अलावा, यह प्रमाणित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि शव अभियोजन गवाह सं.- 2 और 3 का पुत्र था। अभिलेख पर शव की कोई पहचान नहीं है। यहां तक कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी जाल को साफ नहीं करती है।शव पानी में डूबा हुआ पाया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में किसी भी समय शव के पानी में डूबे होने का कोई संकेत नहीं है।

27. यह कैसे संभव हुआ?

28. डॉक्टर अजहर अहमद गनी (अभियोजन गवाह सं.- 8), जिनके बारे में कहा जाता है कि वे मेडिकल टीम के सदस्यों में से एक हैं, जिन्होंने पोस्टमॉर्टम की जांच की थी, ने बयान दिया है कि मृतक की गर्दन पर बंधन का निशान था। श्वासनली का श्लेष्मा संकुचित पाया गया। हालांकि, हाइड हड्डी पूरी तरह से बरकरार थी। मृत्यु जनित कठोरता शरीर से गायब नहीं हुई थी। शव परीक्षा के अनुसार मृत्यु शव परीक्षा से 6 से 24 घंटे का समय निर्धारित किया गया था।

29. यदि मृतक को उस जलाशय में फेंक दिया गया होता जहां से इसे बरामद किया गया था और जिसके बारे में अन्वेषक के बयान के अलावा अभिलेख पर कोई सबूत नहीं है कि मृत शरीर बरामद किया गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ संकेत दिखाई देंगे। वहाँ कोई नहीं है।30. हमें संदेह होने लगा है कि क्या शव मामले के मृतक का था।

31. ये सभी आधार हमें यह समझाने के लिए एकजुट करते हैं कि निचली अदालत ने जांचकर्ता की इस धारणा के साथ काम किया कि वह अपीलकर्ता/सद्दाम था, जिसे उसकी पत्नी/खुशनुमा ने सहायता प्रदान की थी, जिसने मृतक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। निरंतरता के साथ, निचली अदालत ने साक्ष्य की सराहना करने के लिए बुनियादी कानून की परवाह किए बिना कहानी पर अटूट निर्भरता रखी।

32. साक्ष्य के इन सेट के साथ, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अत्यधिक अनुचित है और इसे बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

33. हमारे द्वारा उल्लिखित कारणों के लिए, दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

34. वर्ष 2017 का आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 352 को अनुमती दी जाती है।

35. अपीलार्थी/सद्दाम हुसैन @समीर राजा जेल में है।यदि उसे हिरासत में नहीं लिया गया है या किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तुरंत जेल से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

36. अपीलार्थी/खुशनुमा खातून जमानत पर है।जमानत बांड के तहत उसकी देनदारियों से मुक्त किया जाता है।

37. हालाँकि, यह हमें दूसरे मुद्दे पर ले जाता है।, अपीलार्थी/खुशनुमा खातून ने दंड प्रक्रिया संहिता के लंबित रहने के दौरान एक और आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 352 दायर की थी।यह बताए बिना कि उनके पति के साथ उनकी ओर से पहले एक अपील दायर की गई थी और उस मामले में, सजा के निलंबन की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था।

38. इस अवसर पर, अर्थात् 2017 की आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 405, अपीलार्थी/खुशनुमा द्वारा दायर बाद की अपील, उसकी सजा को निलंबित कर दिया गया था।

39. जब पूर्व-उल्लिखित तथ्यों का पता चला, तो विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल चंद्र को नोटिस जारी किया गया, जिन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया कि उनके अपीलार्थी/खुशनुमा की माँ के पूछने पर अपील दायर की गई, जिन्हें इस बात का पता नहीं था कि पहले से ही दंड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से 2017 का आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 352 एक अपील दायर की गई थी।

40. अपीलार्थी/खुशनुमा की माँ इस अपील की सुनवाई के समय अदालत में मौजूद हैं।

41. हम विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल चंद्र द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हैं, जिन्होंने इस न्यायालय के समक्ष तीन दशकों से अधिक समय तक काम किया है।उन्हें शायद एक बूढ़ी औरत द्वारा गुमराह किया गया जिसे खुद पहले की अपील दायर किए जाने के बारे में पता नहीं था।

42. अपीलार्थी/खुशनुमा की माँ की उम्र और श्री अनिल चंद्र, अधिवक्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए हम मामले को आगे बढ़ाना और मुद्दे को यहाँ छोड़ना उचित नहीं समझते हैं और मुद्दे का निपटारा किया जाता है।

43. हालाँकि, हम श्री अनिल चंद्र को वर्ष 2017 का आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 405 को वापस लिए जाने की अनुमति देते है।

44. वर्ष 2017 की आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 405 अब वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दी गई है।

45. इस फैसले की एक प्रति अनुपालन और अभिलेख के लिए तुरंत संबंधित जेल के अधीक्षक को भेजी जाए।

46. इस मामले के अभिलेखों को तुरंत विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

47. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा कर दिया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(नानी तागिया, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।